संख्या: 405/xxvii(7)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिप्राप्तियों हेतु ई–प्रोक्योरमेंट व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में पांर्श्वांकित शासनादेशों की ओर ध्यानाकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समस्त विभागों में अधिप्राप्तियां ई–प्रोक्योरमेंट से निम्नवत् कराये जाने का निर्णय लिया गया था:–

संख्याः102/xxvii(7)/2011 दिनांकः 06 जुलाई, 2011
संख्याः183/xxvii(7)/2012 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2012

(क) ₹ 5 लाख अथवा ऊपर की धनराशि की समस्त सामग्रियां एवं सेवायें।

(ख) ₹ 25 लाख से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य।

शासन के संज्ञान में आया है कि अपेक्षाकृत छोटे विभाग अभी ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु तकनीकी रूप से समक्ष नहीं हो पाये है तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है। इसके दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्याः183/xxvii(7)/2012 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2012 के द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निर्माण कार्यों हेतु अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित सीमा ₹25 लाख (पच्चीस लाख) को पूर्ववत ₹01 करोड़ (एक करोड़) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है। विभागों को छूट है कि वे उक्त निर्धारित सीमा से कम धनराशि की सामग्री अथवा निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति भी ई–टेन्डरिंग के माध्यम से कर सकते है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः 405/xxvii(7)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. संयोजक, ई–प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।